


न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 98/2006

दायर दिनांक 21.08.2006

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. दामोदरप्रसाद पुत्र रतनलाल, उम्र-42साल, कौम-सिखवाल (ब्राह्मण), निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. श्रवण पुत्र उदा, उम्र-50साल, 2. रामेश्वरीदेवी पत्नी स्वर्गीय रतनलाल, जाति-ब्राह्मण, उम्र-62साल, निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-40साल, 4. देवाराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-28साल, 5. घेवरराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-24साल, जातिगण-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 6. गौरा पत्नी हुक्माराम, (फौत), जाति-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, के वारिशान्- 06/01 हेमाराम पुत्र हुक्माराम, 06/02 श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, 06/03 शंकर पुत्र हुक्माराम, 06/04 देवाराम पुत्र हुक्माराम, 06/05 घेवरराम पुत्र हुक्माराम, 06/06 बाला पत्नी अणदाराम पुत्री गौरा, निवासी-देवगढ इन्दोखा, तहसील-मकराना, जिला-नागौर, राजस्थान, जातिगण-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/07 ग्यारसी पत्नी देवाराम पुत्री गौरा, हाल, निवासी-देवगढ</p>
	बनाम्


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

(लगातार)

		इन्दोखा, तहसील-मकराना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/08 जसु पत्नी भागुराम गुर्जर पुत्री गौरा, हाल,निवासी-धोरा देवजी के देवरे के पास, सुजानगढ, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/09 सोहनी पत्नी घासीराम गुर्जर पुत्री गौरा हाल,निवासी-सरदारपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/10 जेतु पत्नी श्रवण गुर्जर पुत्री गौरा, हाल,निवासी-आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	---

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित।


--: निर्णय ::-

दिनांक 14.06.2018

शरहद मौजा आगुन्ता में खसरा नम्बर 469, 401/1451,
473 व 475 कुल रकबा 123.16 बीघा, का बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
बाबत् वादी का वाद दिनांक 21.09.2011 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर
विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 1368 दिनांक 02.
07.2012 के दारा विभाजन प्रस्तावित किया। प्रतिवादीगण देवाराम व
घेवरराम ने उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति की।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प-खरेश में
पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 हाजिर। उपस्थित
पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। वकील
प्रतिवादीगण ने एतराज किया कि, प्रतिवादीगण देवाराम व घेवरराम के
रहवासी मकानात् बने हुए हैं जिनको विभाजन प्रस्ताव में नहीं दिये हैं।


सहायक कलक्टर
डीडवाना

इसके जवाब में वादी ने लिखित में अवगत कराया कि प्रतिवादीगण के मकानात् अथवा निर्माण को, वादी अपने बन्ट में नहीं लेगा।


मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त जानकारी करने के बाद व वकील प्रतिवादीगण की दलील सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख-साक्ष्यों के मददे नजर तथा वादी की इस्तदुआ के सम्बन्ध में बाद विचार, न्यायालय के मतानुसार, वादग्रस्त भूमि में निर्मित मकानात् की भूमि को छोड़ते हुए, तहसीलदार डीडवाना के बन्टवारा प्रस्ताव दिनाँक 26.06.2012 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 26.06.2012 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा आगुन्ता में खसरा नम्बर 469, 401/1451 रकबा, 473 व 475 कुल रकबा 123.16 बीघा, का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1368 दिनाँक 02.07.2012 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1368 दिनाँक 02.07.2012, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।



(जितमसिंह शेखावत)

सहायक कलक्टर
सहायक उपायुक्त
डीडवाना

कोर्ट कैम्प-खरेश
को सरे कोर्ट कैम्प में

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनाँक 14.06.2018


(जितमसिंह शेखावत)

सहायक कलक्टर
सहायक उपायुक्त
डीडवाना


कोर्ट कैम्प-खरेश

डिक्री बमुकददमें इक्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 98 / 2006

दायर दिनांक 21.08.2006

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. दामोदरप्रसाद पुत्र रतनलाल, उम्र-42साल, कौम-सिखवाल (ब्राह्मण), निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. श्रवण पुत्र उदा, उम्र-50साल, 2. रामेश्वरीदेवी पत्नी स्वर्गीय रतनलाल, जाति-ब्राह्मण, उम्र-62साल, निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-40साल, 4. देवाराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-28साल, 5. घेवरराम पुत्र हुक्माराम, उम्र-24साल, जातिगण-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 6. गौरा पत्नी हुक्माराम, (फौत), जाति-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, के वारिशान्- 06/01 हेमाराम पुत्र हुक्माराम, 06/02 श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, 06/03 शंकर पुत्र हुक्माराम, 06/04 देवाराम पुत्र हुक्माराम, 06/05 घेवरराम पुत्र हुक्माराम, 06/06 बाला पत्नी अणदाराम पुत्री गौरा, निवासी-देवगढ इन्दोखा, तहसील-मकराना, जिला-नागौर, राजस्थान, जातिगण-गुर्जर, निवासी-गुर्जरो की ढाणी, आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/07 ग्यारसी पत्नी देवाराम पुत्री गौरा, हाल, निवासी-देवगढ</p>
	बनाम्


सहायक कलक्टर
डीडवाना

		इन्दीया, तहसील-मकराना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/08 जसु पत्नी भागुराम गुर्जर पुत्री गौरा, हाल,निवासी-धोरा वेवजी के वेवरे के पास, सुजानगढ, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/09 सोहनी पत्नी घासीराम गुर्जर पुत्री गौरा हाल,निवासी-सरदारपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 06/10 जेतु पत्नी श्रवण गुर्जर पुत्री गौरा, हाल,निवासी-आगुन्ता, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	---

दावा बाबत बन्दवारा व रथाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी गिनजानिब मुद्दई उपरिथत वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा आगुन्ता में खसरा नम्बर 469, 401/1461 रकबा , 473 व 475 कुल रकबा 123.16 बीघा, का बाई गिट्सा एण्ड बाउण्डरा से बंदवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1368 दिनांक 02.07.2012 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1368 दिनांक 02.07.2012, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.06.2018 को सरे इजलास में ज़ारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-खरेश

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डिडवाना
कोर्ट कम्प-खरेश

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-98-2006/रीडर/2018/

दिनांक

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. दामोदरप्रसाद पुत्र रतनलाल, उम्र-42साल, कौम-सिखवाल (ब्राह्मण), निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवण पुत्र उदा, उम्र-50साल, 2. रामेश्वरीदेवी पत्नी स्वर्गीय रतनलाल, जाति-ब्राह्मण, उम्र-62साल, निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-खरेश